न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
04 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	13.01.2021	10.04.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............आवेदक

बनाम

1–श्री जमील अहमद पुत्र श्री अब्दुल हफीज निवासी मोहल्ल शोरगरान सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स एम जमील एण्ड कम्पनी सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक

2–मैसर्स एम जीमल एण्ड कम्पनी सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक

3–श्री गम्भीर मल जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन निवासी इमली वाली गली, रघुनाथपुरी, बडा तख्ता टोंक राज. प्रोपरायटर मैसर्स नाथूलाल सूरजमल जैन जवाहर बाजार बडा कुंआ टोंक

4–मैसर्स नाथूलाल सूरजमल जैन जवाहर बाजार बडा कुंआ टोंक

5–श्री गिरधर गोपाल साबू निवासी डी–5, कालवाड स्कीम, गोपालबाडी जयपुर पार्टनर मैसर्स साबू सोडियम क्लोरो लिमिटेड एल–5, बी–2, कृष्णा मार्ग सी–स्कीम जयपुर फैक्ट्री पता–ग्राम गोविन्दी तह. नावां सिटी जिला नागौर

6–श्री विकास कुमार लखोटिया निवासी 6–ए, आईरन साईट रोड, कोलकाता पार्टनर मैसर्स साबू सोडियम क्लोरो लिमिटेड एल–5, बी–2, कृष्णा मार्ग सी–स्कीम जयपुर फैक्ट्री पता–ग्राम गोविन्दी तह. नावां सिटी जिला नागौर

7–श्री नीरज कुमार अग्रवाल निवासी के ए–161, द्वितीय फ्लोर, सेक्टर नं 12, प्रताप विहार, सदर, गाजियाबाद उत्तप्रदेश पार्टनर मैसर्स साबू सोडियम क्लोरो लिमिटेड एल–5, बी–2, कृष्णा मार्ग सी–स्कीम जयपुर फैक्ट्री पता–ग्राम गोविन्दी तह. नावां सिटी जिला नागौर

8–श्री संजय सरना निवासी राजापार्क जयपुर पार्टनर मैसर्स साबू सोडियम क्लोरो लिमिटेड एल–5, बी–2, कृष्णा मार्ग सी–स्कीम जयपुर फैक्ट्री पता–ग्राम गोविन्दी तह. नावां सिटी जिला नागौर

9–मैसर्स साबू सोडियम क्लोरो लिमिटेड एल–5, बी–2, कृष्णा मार्ग सी–स्कीम जयपुर फैक्ट्री पता–ग्राम गोविन्दी तह. नावां सिटी जिला नागौर

............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–निर्माता फर्म के प्रतिनिधि उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 10.04.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.07.2020 को समय 01:30 पी.एम पर मैसर्स एम जमील एण्ड कम्पनी सुभाष बाजार टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री जमील अहमद पुत्र श्री अब्दुल हफीज मिला, को अपना परिचय दिया एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

परिचय लिया तथा पूछने पर श्री जमील अहमद ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **आयोडाईज्ड नमक (सूर्या ब्राण्ड)** के 1–1 किलोग्राम के लगभग 50 मूल पैक पैक्ड अवस्था में रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री जमील अहमद को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **आयोडाईज्ड नमक (सूर्या ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 03 एवं पैकिंग की दिनांक 03/2020 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 1–1 किलोग्राम के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **आयोडाईज्ड नमक (सूर्या ब्राण्ड)** के 4 मूल पैक के ज्यों का त्यों एक–एक नग के बराबर–बराबर नियामनुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2524 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2524 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा नमूना कय करते समय विकेता श्री जमील अहमद पुत्र श्री अब्दुल हफीज ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/2671 दिनांक 13.08.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./1021/एक्ट/2022/1088 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **आयोडाईज्ड नमक (सूर्या ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

आवेदक द्वारा विकेता श्री जमील अहमद को पत्र लिखकर वारन्टी बिल चाहा गया जिस पर विक्रेता श्री जीमल अहमद ने मैसर्स नाथूलाल सूरजमल जैन जवाहर बाजार बडा कुंआ टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया। उक्त फर्म से आवेदक द्वारा सम्पर्क किए जाने पर मैसर्स नाथूलाल सूरजमल जैन जवाहर बाजार बडा कुंआ टोंक के व्यवहारी ने मैसर्स साबू सोडियम क्लोरो लिमिटेड एल–5, बी–2, कृष्णा मार्ग सी–स्कीम जयपुर का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया जो कि उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता है। अतः आवेदक ने विकेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री देवेन्द्र शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में अप्रार्थीगण की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **आयोडाईज्ड नमक (सूर्या ब्राण्ड)** विकय कर रहे थे वह जांच में **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **आयोडाईज्ड नमक (सूर्या ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 15,000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 10.04.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0